(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 17/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी, 2018

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा (2क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 111 के साथ पठित, केन्द्र सरकार यह बात समझती है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 127 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की प्रयोज्यता को स्पष्ट करना जरूरी है । अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिसूचना उन वस्तुओं की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी, जो 01 फरवरी, 2018 को या उसके पहले विनिर्मित किए गए हों और 02 फरवरी, 2018 को या उसके बाद “क्लीयर” किए गए हों ।

(फाइल संख्या 334/04/2018-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार